...8/11/25 | पत्रावली पेश हुई। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण
डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:-35/21 तारीख दर्ज:-9.9.2021

उनवान

1. भंवरसिंह उम्र 35 साल
2. रामातार उम्र 22 साल
3. वीरसिंह उम्र 25 साल

पुत्रान गोपाल

4. लच्छो उम्र 40 साल
5. छोटा आयु 24 साल
6. हेमा उम्र 30 साल
7. राधा उम्र 26 साल

पुत्रीयान गोपाल

जाति माली निवासीयान डी0आर0डी0ए0 के पीछे, करौली तहसील करौली जिला करौली राज0

8. नारायणी बेवा गोपाल उम्र 56 साल

—वादीगण

बनाम

1. कमला बेवा धर्मसिंह जाति गुर्जर निवासी डी.आर. डी. ए. के पीछे करौली तहसील करौली जिला करौली राज0
2. हरिमोहन नाई पुत्र रामरूप जाति नाई निवासी डी.आर.डी.ए. के पीछे करौली तहसील करौली राज0

   हाल साझीदार कमलादेवी बेवा धर्मसिंह जाति गुर्जर निवासी डी.आर.डी.ए. के पीछे करौली तहसील करौली राज0

—–प्रतिवादीगण

दावा–स्थायी निषेधाज्ञा धारा 188 आर0टी0एक्ट

–::निर्णय::– दिनांकः– 28/11/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 5923/4 रकवा 18 विस्वा वाके कस्बा करौली पटवार हल्का 9 करौली पांचना कॉलोनी के पीछे करौली तहसील करौली स्थित है जिससे दीगर किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वादीगण की उक्त आराजी के पास प्रतिवादी नं 1 की भूमि है जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 साक्षीदार के रूप में कार्य करता है। वादीगण व प्रतिवादीगण 1 की भूमि की सीमा के मध्य करीब 15–16 वर्ष से करीब 9–10 फीट उंचाई की पटिटयां गाढकर अलग अलग सीमा कर रखी हैं व वादीगण की भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:37:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

प्रतिवादी नबर 1 की भूमि 5-6 फीट उंची है। जिसकी पटिटयो से सीमा बन्दी हो रही है। वादी ने अपनी खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि खसरा नंबर 5923/4 को जुलाई माह में दिनांक 13/7/2021 को समतल करने को ट्रेक्टर मंगाया तो, प्रतिवादी नंबर 1 व 2 झगडे पर आमादा हो गये व करीब 15-20 लडको को बुलाकर ट्रेक्टर चालक व हम वादीगण को धमकी दी कि हम तुम्हे जमीन को समतल नहीं करने देगें व बीच की सीमा बन्दी को हटाकर इस जमीन पर हम कब्जा करके रहेगें व हमे जान से मारने की धमकी देने लगे। जिसकी शिकायत वादी नंबर 1 द्वारा श्रीमान जिला पुलिस अक्षीधक, करौली को दी। परन्तु वादीगण ने हिम्मत कर अपनी आराजी को समतल कर लिया व अपनी आराजी के चारों ओर पत्थर के गडडू गाढकर लोहे के तारों से अपनी आराजी की सीमाबन्दी कर दी। इसके पश्चिात दिनांक 12-8-2021 को पुनः कब्जा करने की नीयत से वादीगण के परिवार पर हमला करने का प्रयास किया। करीब 15-20 व्यक्ति लेकर आराजी पर कब्जा करने की कोशिश की जिसकी वादीगण द्वारा पुलिस थाना करौली पर सूचना देने पर पुलिस मौके पर आइ व तीन मोटरसाईकिल कमशः आर0जे0 14 डी क्यू 5716 व आर0जे0 05 एस जे 8238 व आर0जे0 34 एसएम 5128 को जप्त किया। 15-20 व्यक्तियों मे से दो व्यक्तियों के नाम विजयसिंह निवासी 132 जी0एस0एस0 के पास व राजवीर निवासी रामपुर है दिनांक 27-8-2021 को रात्रि करीब 11-12 बिजे प्रतिवादी नंबर 1 व 2 अपने साथ विजयसिंह व राजवीर व करीब 10-15 अन्य को साथ टैक्टर व अपनी पटिटयों को हटाकर जबरन वादीगण की आराजी में धुस आये व वादीगण ारा गढढू गाढ कर जो तारबन्दी की उसको नष्ट कर दिया। जिसकी शिकायत भी प्रार्थी वादीगण द्वारा ... को कर दी गयीं। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म की है पैसे व लटठ वाली है और वह बिना किसी विधिक अधिकार अधिकार से हम वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5923/4 से जबरन बेदखल करके कब्जा करने पर आमादा है। जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादी नंबर 1 की भूमि 5–6 फीट उंची है। जिसकी पटिटयों से सीमा बन्दी हो रही है। वादी ने अपनी खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि खसरा नंबर 5923/4 को जुलाई माह मे दिनांक 13/7/2021 को समतल करने को ट्रेक्टर मगाया तो, प्रतिवादी नंबर 1 व 2 झगडे पर आमादा हो गये व करीब 15–20 लडको को बुलाकर ट्रेक्टर चालक व हम वादीगण को धमकी दी कि हम तुम्हे जमीन को समतल नहीं करने देगें व बीच की सीमा बन्दी को हटाकर इस जमीन पर हम कब्जा करके रहेगें व हमे जान से मारने की धमकी देने लगे। जिसकी शिकायत वादी नंबर 1 द्वारा श्रीमान जिला पुलिस अक्षीधक, करौली को दी। परन्तु वादीगण ने हिम्मत कर अपनी आराजी को समतल कर लिया व अपनी आराजी के चारों ओर पत्थर के गडडू गाढकर लोहे के तारों से अपनी आराजी की सीमाबन्दी कर दी। इसके पश्चिात दिनांक 12–8–2021 को पुनः कब्जा करने की नीयत से वादीगण के परिवार पर हमला करने का प्रयास किया। करीब 15–20 व्यक्ति लेकर आराजी पर कब्जा करने की कोशिश की जिसकी वादीगण द्वारा पुलिस थाना करौली पर सूचना देने पर पुलिस मौके पर आइ व तीन मोटरसाईकिल क्रमशः आर0जे0 14 डी क्यू 5716 व आर0जे0 एस जे 8238 व आर0जे0 34 एसएम 5128 को जप्त किया। 15–20 व्यक्तियों मे से दो व्यक्तियों के नाम विजयसिंह निवासी 132 जी0एस0एस0 के पास व राजवीर निवासी रामपुर है दिनांक 27–8–2021 को रात्रि करीब 11–12 बजे प्रतिवादी नंबर 1 व 2 अपने साथ विजयसिंह व राजवीर व करीब 10–15 अन्य को साथ टैक्टर व अपनी पटिटयों को हटाकर जबरन वादीगण की आराजी में धुस आये व वादीगण रा गढढू गाढ कर जो तारबन्दी की थी उसको नष्ट कर दिया। जिसकी शिकायत भी प्रार्थी वादीगण द्वारा थाना करौली पर दी गयीं। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म की है पैसे व लठठ वाली है और वह बिना किसी विधिक अधिकार अधिकार से हम वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5923/4 से जबरन बेदखल करके कब्जा करने पर आमादा है। जिसका

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:53 IST
Reason: SelfAttested

उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। व प्रतिवादी के दिल में बदयान्ति आ गयी है वह वादीगण को बेजा नाजायज तौर परसंग व परेशान कर हम वादीगण की भूमि को हड़पना चाहती है। इसलिये वादीगण द्वारा विरूध प्रतिवादीगण दावा स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक आया है। वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है कि वह वादीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की आराजी खसरा नंबर 5923/2 रकबा 18 बिस्वा दर्ज बाद पत्र के कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग मेंकिसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना किसी दी गर परिवारजन व सहयोगियो से करावे वादीगण को शान्ति पूर्वक काबिज रहने देवें। विनाय दावा दिनांक 13.7.2021 को व 27.8.2021 को वादीगण के कब्जा काश्त मे मदाखलत व मजाहमत करने व गढढू व तारबन्दी नष्ट कर जमीन हडपने की धमकी देने व झगडा फिसाद करने को आमादा होने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई। दावा अंदर मियाद है। अंत दावा वादीगण डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 2 की बावजूद तामील [illegible] नहीं होने के कारण प्रतिवादी नंबर 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही [illegible]। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जबाव नहीं दिये जाने के कारण प्रतिवादी नंबर 1 का दिनांक 28.03.2025 को जबाव बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:53 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये है:–

1. आया बादग्रस्त आराजी ख0 नं0 5923/4 रकवा 18 विस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 9 तह0 करौली वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की हे। वादीगण प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्दी कराने के अधिकारी है।

—वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

2 अनुतोष :–

याय विवाद्यक बिन्दु वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी भंवरसिंह पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–1, नक्शा सीट प्रदर्श–2 पेश की है।

प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 11.03.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5923/4 रकबा 18 बिस्वा वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध नही है। प्रतिवादीगण अनाधिकृत तौर पर कब्जा व हमला करने के प्रयास कर रहे है। और वादीगण को नाजायज तौर पर तंग व परेशान करने पर आमदा है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

बहस वकील वादी का एकपक्षीय का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीलवार विवेचन निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में वादी भंवरसिंह पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–1 पेश की है। जिसमें भूमि वादीगण के खातेदारी में अंकित है। वादीगण भूमि के खातेदार काश्तकार है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:53 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5923/4 वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की होना जिससे प्रतिवादीगण का कोई खातेदारी संबध में नहीं होना साबित है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हकदार है। दावा वादीगण डिकी कियेजाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबद किया जाता है कि वह आराजी खसर नंबर 5923/4 रकबा 18 बिस्वा कस्बा करौली तहसील करौली में वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार से मुजाहमत मदाखलत नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)

उपखण्ड अधिकारी,

करौली

उपखण्ड अधिकारी

करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:[illegible]:53 IST
Reason: Self Attested